'अप्प दीपो भव'

# वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2019-20-21
WPP Licence No.- U(C)-101/2019-2021
**R.N.I. No. 68180/98**

**Date of Publication : 28.02.2019**
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रकाशक : डॉ. उदित राज, चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23354841-42

Website : www.aiparisangh.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 22 ● अंक 5 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 16 से 28 फरवरी, 2019

# सांसद डॉ. उदित राज के जन्मदिन पर फिल्मी हस्तियों को मिला "ग्रेट इंडियन अवार्ड"

लोगों के हक की लड़ाई लड़ने वाले, संसद में उनकी आवाज उठाने वाले दिल्ली के लोक सभा सांसद डॉ. उदित राज का जन्मदिन पिछले कई वर्षों से मुंबई में भी मनाया जाता है। इस बार 17 फरवरी, 2019 को मुंबई के जुहू बीच स्थित रामादा होटेल में न्याय दिवस के रूप में मनाया गया। इस समारोह का आयोजन बुद्धांजलि आयुर्वेद प्रा. लि. के डायरेक्टर और केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य कैलाश मासूम ने किया वहीं इनकम टैक्स कमिश्नर सीमा राज, सीआईएसबी के मैंनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एन. पिंपले, अभिनेत्री सलमा आगा, जारा खान, एकता जैन, जेबा खान, हास्य अभिनेता मुकेश गौतम, समाजसेवी राजीव वर्मा, विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इसी अवसर पर अभिनेता रंजीत, पद्मश्री सोमा घोष, सुरेंद्र पाल सिंह, अनुपम श्याम, डॉली बिंद्रा, कॉमेडी किंग सुनील पाल, हिमांशु सोनी, अनिरुद्ध दवे, मोहम्मद इकबाल खान, अमन त्रिखा (गायक), संदीप बत्रा, रमेश गोयल, सुशील योगी, संजय मिश्रा (गीतकार), निशांत देशवाल, राजू कारिया, हिमांशु झुनझुनवाला, डॉ. अनिल मुरारका, विजय केडिया, मैक अजनानी, कैलाश पारस राम, समाजसेवी कल्याण विनोद आदि को ग्रेट इंडियन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया।

+++

# दलित स्वयं बर्बादी के लिए जिम्मेदार

गत् 3-4 दशक से जितनी तेजी से जागृति बढ़ी है, उतनी ही तेजी से बिखराव भी हुआ है। जो भी जागते गए वे अपने आपको समझदार होशियार और नेता मानते गए और ज्यादातर लोगों ने खुद के संगठन खड़े कर लिए। जब संगठन खड़ा कर लिया तो महत्वाकांक्षा जग जाती है और उसे पूरा करने के लिए लोग कुतर्की, अहंकारी और जातिवादी बन जाते हैं। भले वह सोचते हों कि वे समाज के लिए हितकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन हो उल्टा रहा है। जो जागृत जातियां थीं, उन्होंने अन्य दलित जातियों को दूसरे के पाले में जाने के लिए मजबूर कर दिया। अभी वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कितनी क्षति कर चुके हैं। जिन जातियों को आरक्षण का लाभ कम मिला और शिक्षा भी उतनी नहीं है। उनका नुकसान उतना नहीं होगा, जितना शिक्षित और जागृत वालों का। उन जातियों में चेतना के अभाव की कमी से इतना गुलामी का एहसास भी नहीं हो पाता है, इसलिए सवर्णों के साथ निभ जाती है।

इसमें अतिश्योक्ति नहीं होगी कि सबसे ज्यादा बुरे दौर से दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक गुजर रहे हैं। बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ी है, फिर भी राजनैतिक मुद्दा नहीं है। 13 प्वाइंट रोस्टर से विश्वविद्यालयों में दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यक का शिक्षक के रूप में प्रवेश करीब-करीब खत्म हो चुका है लेकिन यह कोई विशेष मुद्दा नहीं। सुबह सारे चैनल अंधविश्वास फैलाते हैं, लेकिन उसका खंडन नहीं दिखता है। इस तरह से अंधकार की तरफ समाज को ढकेला जा चुका है। सामाजिक एवं राजनैतिक वातावरण इतना भ्रमित और धुंधला हो गया है कि लोगों को नेता बचाने में मिशन दिखता है। अगर दूसरा कोई कितना भी संघर्ष करे और लाभ की बात क्यों न हो, फिर भी समर्थन तो दूर पानी पी-पीकर कोसना और अनर्गल आरोप मढ़ना। अब तक कोई दलित एवं पिछड़ा नेता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के असंवैधानिक नियुक्ति पर सवाल करने की हिम्मत नहीं की। संविधान में जजों की नियुक्ति में प्राथमिकता सरकार की है, लेकिन वह बदलकर जजों ने अपने हाथ में ले लिया है। डॉ. उदित राज ही मात्र एक ऐसे सांसद हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में लोक सभा में सुप्रीम कोर्ट को दलित विरोधी, जातिवादी एवं गरीब विरोधी कहा और एक बार ही नहीं बल्कि कई बार ऐसा किया है। क्या कोई और ऐसा कर सका है, तो इसको जानना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर सबकुछ उपलब्ध है, जो भी चाहे जानकारी ले सकता है। क्या कभी किसी दलित और पिछड़े संगठन ने रैली करके सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने का प्रयास किया है। इसका भी कोई इतिहास नहीं है।

दो तरफ से अत्यधिक नुकसान हुआ है, पहला निजीकरण, ठेकेदारी एवं आउटसोर्सिंग एवं दूसरा है, उच्च न्यायपालिका की सक्रियता के द्वारा जो भी कल्याणकारी कार्य या कानून हैं, उन्हें लगातार कमजोर करते रहना। डॉ. उदित राज एवं उनके डी.ओ.एम. के साथी ही अकेले कितना लड़ सकेंगें ? कहने को तो अम्बेडकरवादी एवं भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, लेकिन दिमाग बिल्कुल बंद रखा है। अगर खोलकर रखते तो समझ में आता कि कौन क्या कर रहा है। हालांकि अब इतनी देर हो गयी है कि जो भी आरक्षण सरकारी नौकरियों में हुआ करता था, उसका लगभग खात्मा हो गया है और शिक्षा निजीकरण होने की वजह से वहां भी हिस्सेदारी तेजी से घटी है। बहुत उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि तर्क और बुद्धि का ईमानदारी से प्रयोग कर सकेंगें। लगातार समाज अंधकार की ओर बढ़ रहा है। बहुत कुछ खो चुका है। अब इंतजार है कि पूर्व की गुलामी में कब पहुंचेगें।

+++

# संत गाडगे बाबा

## बता रहे हैं 20 सदी के महान नेता और महान संत के साहचर्य को और सामाजिक समता के लिए दोनो के प्रयासों को

राजबहादुर

बीसवीं सदी के समाज-सुधार आन्दोलन में जिन महापुरूषों का योगदान रहा है, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नाम बाबा गाडगे का है। बुद्धिजीवियों का ध्यान बाबा गाडगे के तरफ न जाने से उनका नाम ज्यादा प्रकाश में नहीं आ सका। लेकिन अब विद्वानों का ध्यान उधर गया है और बाबा गाडगे के बारे में लिखा जा रहा है एवं समाज सुधार आन्दोलन में उनके योगदान को रेखांकित किया जा रहा है।

अगर देखा जाय तो बाबा गाडगे संत कबीर और रविदास की परंपरा में आते हैं। उनकी शिक्षाओं को देखकर ऐसा लगता है कि वे कबीर और रविदास से बहुत प्रभावित थे। यह संयोग ही है कि संत रविदास और गाडगे बाबा की जयंती एक ही महीने में पड़ती है। गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी, 1876 ई. को महाराष्ट्र के अमरावती जिले की तहसील अंजन के शेगाँव नामक गाँव में कहीं सछूत और कहीं अछूत समझी जाने वाली धोबी जाति के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सखूबाई और पिता का नाम झिंगराजी था। बाबा गाडगे का पूरा नाम देवीदास डेबूजी झिंगराजी जाड़ोकर था। घर में उनके माता-पिता उन्हें प्यार से 'डेबू जी' कहते थे। डेबू जी हमेशा अपने साथ मिट्टी के मटके जैसा एक पात्र रखते थे। इसी में वे खाना भी खाते और पानी भी पीते थे। महाराष्ट्र में मटके के टुकड़े को गाडगा कहते हैं। इसी कारण कुछ लोग उन्हें गाडगे महाराज तो कुछ लोग गाडगे बाबा कहने लगे और बाद में वे संत गाडगे के नाम से प्रसिद्ध हो गये। गाडगे बाबा डॉ. अम्बेडकर के समकालीन थे तथा उनसे उम्र में पन्द्रह साल बड़े थे। वैसे तो गाडगे बाबा बहुत से राजनीतिज्ञों से मिलते-जुलते रहते थे। लेकिन वे डॉ. आंबेडकर के कार्यों से अत्यधिक प्रभावित थे। इसका कारण था जो समाज सुधार सम्बन्धी कार्य वे अपने कीर्तन के माध्यम से लोगों को उपदेश देकर कर रहे थे, वही कार्य डॉ. आंबेडकर राजनीति के माध्यम से कर रहे थे। गाडगे बाबा के कार्यों की ही देन थी कि जहाँ डॉ. आंबेडकर तथाकथित साधु-संतों से दूर ही रहते थे, वहीं गाडगे बाबा का सम्मान करते थे। वे गाडगे बाबा से समय-समय पर मिलते रहते थे तथा समाज-सुधार सम्बन्धी मुद्दों पर उनसे सलाह-मशविरा भी करते थे। डॉ. आंबेडकर और गाडगे बाबा के सम्बन्ध के बारे में समाजशास्त्री प्रो. विवेक कुमार लिखते हैं कि ''आज कल के दलित नेताओं को इन दोनो से सीख लेनी चाहिए। विशेषकर विश्वविद्यालय एवं कालेज में पढ़े-लिखे आधुनिक नेताओं को, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा समाज-सुधार करने वाले मिशनरी तथा किताबी ज्ञान से परे रहने वाले दलित कार्यकर्ताओं को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं और बस अपने आप में ही मगरूर रहते हैं। क्या बाबा साहेब से भी ज्यादा डिग्रियाँ आज के नेताओं के पास है? बाबा साहेब संत गाडगे से आंदोलन एवं सामाजिक परिवर्तन के विषय में मंत्रणा करते थे। यद्यपि उनके पास किताबी ज्ञान एवं राजसत्ता दोनो थे। अतः हमें समझना होगा कि सामाजिक शिक्षा एवं किताबी शिक्षा भिन्न हैं और प्रत्येक के पास दोनों नहीं होती। अतः इन दोनों प्रकार की शिक्षा में समन्वय की जरूरत है।'

गाडगे बाबा संत कबीर की तरह ही ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद और जातिवाद के विरोधी थे। वे हमेशा लोगों को यही उपदेश देते थे कि सभी मानव एक समान हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ भाईचारे एवं प्रेम का व्यवहार करो। वे स्वच्छता पर विशेष जोर देते थे। वे हमेशा अपने साथ एक झाड़ू रखते थे, जो स्वच्छता का प्रतीक था। वे

कहते थे कि ''सुगंध देने वाले फूलों को पात्र में रखकर भगवान की पत्थर की मूर्ति पर अर्पित करने के बजाय चारों ओर बसे हुए लोगों की सेवा के लिए अपना खून खपाओ। भूखे लोगों को रोटी खिलाई, तो ही तुम्हारा जन्म सार्थक होगा। पूजा के उन फूलों से तो मेरा झाड़ू ही श्रेष्ठ है। यह बात आप लोगों को समझ में नहीं आयेगी।'' गाडगे बाबा आजीवन सामाजिक अन्यायों के खिलाफ संघर्षरत रहे तथा अपने समाज को जागरूक करते रहे। उन्होंने सामाजिक कार्य और जनसेवा को ही अपना धर्म बना लिया था। वे व्यर्थ के कर्मकांडों, मूर्तिपूजा व खोखली परम्पराओं से दूर रहे। जाति प्रथा और अस्पृश्यता को बाबा सबसे घृणित और अधर्म कहते थे। उनका मानना था कि ऐसी धारणाएँ धर्म में ब्राह्मणवादियों ने अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए जोड़ी है। ब्राह्मणवादी इन्हीं मिथ्या धारणाओं के बल पर आज जनता का शोषण करके अपना पेट भरते हैं। इसीलिए वे लोगों को अंधभक्ति व धार्मिक कुप्रथाओं से बचने की सलाह देते थे। अन्य संतों की भाँति गाडगे बाबा को भी औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिला था। उन्होंने स्वाध्याय के बल पर ही थोड़ा बहुत पढ़ना-लिखना सीख लिया था। शायद यह डॉ. अम्बेडकर का ही प्रभाव था कि गाडगे बाबा शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने शिक्षा के महत्व को इस हद तक प्रतिपादित किया कि यदि खाने की थाली भी बेचनी पड़े तो उसे बेचकर भी शिक्षा ग्रहण करो। हाथ पर रोटी लेकर खाना खा सकते हो पर विद्या के बिना जीवन अधूरा है। वे अपने प्रवचनों में शिक्षा पर उपदेश देते समय डॉ. अम्बेडकर को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहते थे कि ''देखा बाबा साहेब अंबेडकर अपनी महत्वाकांक्षा से कितना पढ़े। शिक्षा कोई एक ही वर्ग की ठेकेदारी नहीं है। एक गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा लेकर ढेर सारी डिग्रियाँ हासिल कर सकता है। बाबा गाडगे ने अपने समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए 31 शिक्षण संस्थाओं तथा एक सौ से अधिक अन्य संस्थाओं की स्थापना की। बाद में सरकार ने इन संस्थाओं के रख-रखाव के लिए एक ट्रस्ट बनाया। गाडगे बाबा डॉ. अम्बेडकर से किस हद तक प्रभावित थे, इसके बारे में चर्चा करते हुए संभवतः संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम दलित अध्यक्ष डॉ. एम.एल. शहारे ने अपनी आत्मकथा 'यादों के झरोखे' में लिखा है कि ''बाबा साहेब अम्बेडकर से गाडगे बाबा कई बार मिल चुके थे। वे बाबा साहेब के व्यक्तित्त्व एवं कृतित्व से प्रभावित हो चुके थे। बाबा साहेब और संत गाडगे बाबा ने साथ तस्वीर खिंचवायी थी। आज भी कई घरों में ऐसी तस्वीरें दिखायी देती हैं। संत गाडगे बाबा ने डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा स्थापित पिपल्स एजुकेशन सोसाएटी को पंढरपुर की अपनी धर्मशाला छात्रावास हेतु दान की थी। संत गाडगे महाराज की कीर्तन शैली अपने आप में बेमिसाल थी। वे संतों के वचन सुनाया करते थे। विशेष रूप से कबीर, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर आदि के काव्यांश जनता को सुनाते थे। हिंसाबंदी, शराबबंदी, अस्पृश्यता निवारण, पशुबलिप्रथा आदि उनके कीर्तन के विषय हुआ करते थे। यह संयोग ही है कि डॉ. अम्बेडकर की मृत्यु के मात्र 14 दिन बाद ही गाडगे बाबा ने भी जनसेवा और समाजोत्थान के कार्यों को करते हुए 20 दिसम्बर, 1956 को हमेशा के लिए आँखें बंद कर लीं। उनके परिनिर्वाण की खबर आग की तरह पूरे महाराष्ट्र में फैल गयी। उनके चाहने वाले हजारों अनुयायियों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी अन्तिम यात्रा में सम्मिलित हुए। आज बाबा गाडगे का शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएँ आज भी प्रासंगिक हैं, जिससे हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। बाबा का जीवन और कार्य केवल महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

गाडगे बाबा की मृत्यु के बाद 1 मई सन् 1983 ई. को महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर विश्वविद्यालय को विभाजित कर 'संत गाडगे बाबा' अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र की स्थापना की। उनकी 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 20 दिसम्बर, 1998 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। सन् 2001 में महाराष्ट्र सरकार ने अपनी स्मृति में संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान शुरू किया। वास्तव में गाडगे बाबा एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने आप में एक संस्था थे। वे एक महान संत ही नहीं, बल्कि एक महान समाजसुधारक भी थे। उनके समाज-सुधार सम्बन्धी कार्यों को देखते हुए ही डॉ. अम्बेडकर ने उन्हें जोतिबा फुले के बाद सबसे बड़ा त्यागी, जनसेवक कहा था, जो उचित ही था। ऐसे महापुरुष को उनके 143वें जन्मदिवस (23 फरवरी) के शुभ अवसर पर शत-शत नमन।

https://www.forwardpress.in/2017/02/sant-gadge-baba-aur-dr-aambedkar/

✦✦✦

# डी.ओ.एम. परिसंघ का पुलवामा के शहीदों के लिए कैंडल मार्च

नई दिल्ली : कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के हमले में शहीद हुए सी.आर.पी.एपफ के जवानों को श्रद्धांजलि देन के लिए डी. ओ. एम. परिसंघ के कार्यकर्ताओं ने जन्तर - मन्तर पर कैंडल मार्च किया और सभी शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से मांग की है कि वह इस बलिदान का बदला पाकिस्तान पर हमला करके ले ताकि इन अमर शहीदों को इंसाफ मिल सके। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान पर हमला करो जैसे जमकर नारे बाजी की। सभी ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा भारत को अस्थिर करने के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर भारत में भेज रहा है जो वेकसूर लोगों की हत्यायें कर रहे हैं जोकि उनका कायरतापूर्ण कदम है। डी.ओ.एम. परिसंघ के सह-संयोजक कलीराम तोमर ने कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान का कुचलकर उसका दुनिया के नक्शे से गायब किया जाये क्योंकि जैसी हरकतें वह कर रहा है वह माफ करने लायक नहीं हैं। और उसपर हमला करना अति अवश्यक हो गया है। पुलवामा की आतंकवादी घटना से सारे देश में गुसा है और सभी सरकार को एकजुट होकर समर्थन दे रहे हैं क्योंकि बाहरी दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए भारत की सारी जनता एकजुट है। भारत को कोई भी नुकशान पहुंचाये उसका हर भारतवासी बदला लेने को तत्पर है। इस मौके पर सभी कैंडल मार्च के बाद सेना के शहीद वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

इस मौके पर संजय राज सोनकर, बाबू लाल, के.के.एस.राघव, विजय कैन, राजू वोरा, राजकुमार सागर, अजीत सिंह, विरेन्द्र प्रताप सिंह के अलावा अनेक लोगों ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान के खिलापफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नारेबाजी की। सभी ने सरकार से मांग की है कि कश्मीर में जो अलगाववादी नेता हैं और उन्हें सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है उनकी सुरक्षा वापिस ली जाये और उन सभी हुरियत नेताओं को भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाये जो अपनी नापाक हरकतों से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और कश्मीर में अमन चैन को नुकशान पहुंचाये जा रहे हैं और देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ऐसे पाकिस्तानी एजेंटों को जेल में ही डालना चाहिए जो उनकी सही जगह है।

✦✦✦

# रविदास की जीवनी

रविदास भारत में 15वीं शताब्दी के एक महान संत, दर्शनशास्त्री, कवि, समाज-सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वो निर्गुण संप्रदाय अर्थात् संत परंपरा में एक चमकते नेतृत्वकर्ता और प्रसिद्ध व्यक्ति थे तथा उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन को नेतृत्व देते थे। ईश्वर के प्रति अपने असीम प्यार और अपने चाहने वाले, अनुयायी, सामुदायिक और सामाजिक लोगों में सुधार के लिये अपने महान कविता लेखनों के जरिये संत रविदास ने विविध प्रकार की आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिये। वो लोगों की नजर में उनकी सामाजिक और आध्यात्मिक जरुरतों को पूरा करने वाले मसीहा के रुप में थे। आध्यात्मिक रुप से समृद्ध रविदास को लोगों द्वारा पूजा जाता था। हर दिन और रात, रविदास के जन्म दिवस के अवसर पर तथा किसी धार्मिक कार्यक्रम के उत्सव पर लोग उनके महान गीतों आदि को सुनते या पढ़ते है। उन्हें पूरे विश्व में प्यार और सम्मान दिया जाता है हालाँकि उन्हें सबसे अधिक सम्मान उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में अपने भक्ति आंदोलन और धार्मिक गीतों के लिये मिलता था।

### संत रविदास जयंती

पूरे भारत में खुशी और बड़े उत्साह के साथ माघ महीने के पूर्ण चन्द्रमा दिन पर माघ पूर्णिमा पर हर साल संत रविदास की जयंती या जन्म दिवस को मनाया जाता है। वाराणसी में लोग इसे किसी उत्सव या त्योहार की तरह मनाते है। इस खास दिन पर आरती कार्यक्रम के दौरान मंत्रों के रागों के साथ लोगों द्वारा एक नगर कीर्तन जुलूस निकालने की प्रथा है, जिसमें गीत-संगीत, गाना और दोहा आदि सड़कों पर बने मंदिरों में गाया जाता है। रविदास के अनुयायी और भक्त उनके जन्म दिवस पर गंगा-स्नान करने भी जाते है तथा घर या मंदिर में बनी छवि की पूजा-अर्चना करते है। इस पर्व को प्रतीक बनाने के लिये वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर के श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर के बेहद प्रसिद्ध स्थान पर हर साल वाराणसी में लोगों के द्वारा इसे बेहद भव्य तरीके से मनाया जाता है। संत रविदास के भक्त और दूसरे अन्य लोग पूरे विश्व से इस उत्सव में सक्रिय रुप से भाग लेने के लिये वाराणसी आते है।

### रविदास की जीवनी

आरंभिक जीवन : संत रविदास का जन्म भारत के यूपी के वाराणसी शहर में माता कालसा देवी और बाबा संतोख दास जी के घर 15 वीं शताब्दी में हुआ था। हालाँकि, उनके जन्म की तारीख को लेकर विवाद भी है क्योंकि कुछ का मानना है कि ये 1376, 1377 और कुछ का कहना है कि ये 1399 में हुआ था। कुछ अध्येता के आँकड़ों के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया गया था कि रविदास का पूरा जीवन काल 15वीं से 16वीं शताब्दी में 1450 से 1520 के बीच तक रहा।

रविदास के पिता मल साम्राज्य के राजा नगर के सरपंच थे और खुद जूतों का व्यापार और उसकी मरम्मत का कार्य करते थे। अपने बचपन से ही रविदास बेहद बहादुर और ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे लेकिन बाद में उन्हें उच्च जाति के द्वारा उत्पन्न भेदभाव की वजह से बहुत संघर्ष करना पड़ा जिसका उन्होंने सामना किया और अपने लेखन के द्वारा रविदास ने लोगों को जीवन के इस तथ्य से अवगत करवाया। उन्होंने हमेशा लोगों को सिखाया कि अपने पड़ोसियों को बिना भेद-भेदभाव के प्यार करो। पूरी दुनिया में भाईचारा और शांति की स्थापना के साथ ही उनके अनुयायीयों को दी गयी महान शिक्षा को याद करने के लिये भी संत रविदास का जन्म दिवस मनाया जाता है। अपने अध्यापन के आरंभिक दिनों में काशी में रहने वाले रुढ़ीवादी ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रसिद्धि को हमेशा रोका जाता था क्योंकि संत रविदास अस्पृश्यता के भी गुरु थे। सामाजिक व्यवस्था को खराब करने के लिये राजा के सामने लोगों द्वारा उनकी शिकायत की गयी थी। रविदास को भगवान के बारे में बात करने से, साथ ही उनका अनुसरण करने वाले लोगों को अध्यापन और सलाह देने के लिये भी प्रतिबंधित किया गया था।

**रविदास की प्रारंभिक शिक्षा:** बचपन में संत रविदास अपने गुरु पंडित शारदा नंद के पाठशाला गये जिनको बाद में कुछ उच्च जाति के लोगों द्वारा रोका गया था वहाँ दाखिला लेने से। हालाँकि पंडित शारदा ने यह महसूस किया कि रविदास कोई सामान्य बालक न होकर एक ईश्वर के द्वारा भेजी गयी संतान है अतः पंडित शारदानंद ने रविदास को अपनी पाठशाला में दाखिला दिया और उनकी शिक्षा की शुरुआत हुयी। वो बहुत ही तेज और होनहार थे और अपने गुरु के सिखाने से ज्यादा प्राप्त करते थे। पंडित शारदा नंद उनसे और उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित रहते थे उनका विचार था कि एक दिन रविदास आध्यात्मिक रुप से प्रबुद्ध और महान सामाजिक सुधारक के रुप में जाने जायेंगे। पाठशाला में पढ़ने के दौरान रविदास पंडित शारदानंद के पुत्र के मित्र बन गये। एक दिन दोनों लोग एक साथ लुका-छिपी खेल रहे थे, पहली बार रविदास जी जीते और दूसरी बार उनके मित्र की जीत हुयी। अगली बार, रविदास जी की बारी थी लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो लोग खेल को पूरा नहीं कर सके उसके बाद दोनों ने खेल को अगले दिन सुबह जारी रखने का फैसला किया। अगली सुबह रविदास जी तो आये लेकिन उनके मित्र नहीं आये। वो लंबे समय तक इंतजार करने के बाद अपने उसी मित्र के घर गये और देखा कि उनके मित्र के माता-पिता और पड़ोसी रो रहे थे।

उन्होंने उन्हीं में से एक से इसका

कारण पूछा और अपने मित्र की मौत की खबर सुनकर हक्का-बक्का रह गये। उसके बाद उनके गुरु ने संत रविदास को अपने बेटे के लाश के स्थान पर पहुँचाया, वहाँ पहुँचने पर रविदास ने अपने मित्र से कहा कि उठो ये सोने का समय नहीं है दोस्त, ये तो लुका-छिपी खेलने का समय है। जैसै कि जन्म से ही गुरु रविदास दैवीय शक्तियों से समृद्ध थे, रविदास के ये शब्द सुनते ही उनके मित्र फिर से जी उठे। इस आश्चर्यजनक पल को देखने के बाद उनके माता-पिता और पड़ोसी चकित रह गये।

**वैवाहिक जीवन :** भगवान के प्रति उनके प्यार और भक्ति की वजह से वो अपने पेशेवर पारिवारिक व्यवसाय से नहीं जुड़ पा रहे थे और ये उनके माता-पिता की चिंता का बड़ा कारण था। अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ने के लिये इनके माता-पिता ने इनका विवाह काफी कम उम्र में ही श्रीमती लोना देवी से कर दिया जिसके बाद रविदास को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुयी जिसका नाम विजयदास पड़ा। शादी के बाद भी संत रविदास सांसारिक मोह की वजह से पूरी तरह से अपने पारिवारिक व्यवसाय के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनके इस व्यवहार से क्षुब्द होकर उनके पिता ने सांसारिक जीवन को निभाने के लिये बिना किसी मदद के उनको खुद से और पारिवारिक संपत्ति से अलग कर दिया। इस घटना के बाद रविदास अपने ही घर के पीछे रहने लगे और पूरी तरह से अपनी सामाजिक मामलों से जुड़ गये।

**संत रविदास के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ :** एक बार गुरु जी के कुछ विद्यार्थी और अनुयायी ने पवित्र नदी गंगा में स्नान के लिये पूछा तो उन्होंने ये कह कर मना किया कि उन्होंने पहले से ही अपने एक ग्राहक को जूता देने का वादा कर दिया है तो अब वही उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। रविदास जी के एक विद्यार्थी ने उनसे दुबारा निवेदन किया तब उन्होंने कहा उनका मानना है कि ''मन चंगा तो कठौती में गंगा'' मतलब शरीर को आत्मा से पवित्र होने की जरुरत है ना कि किसी पवित्र नदी में नहाने से, अगर हमारी आत्मा और ह्दय शुद्ध है तो हम पूरी तरह से पवित्र है चाहे हम घर में ही क्यों न नहाये। एक बार उन्होंने अपने एक ब्राहमण मित्र की रक्षा एक भूखे शेर से की थी जिसके बाद वो दोनों गहरे साथी बन गये। हालाँकि दूसरे ब्राहमण लोग इस दोस्ती से जलते थे सो उन्होंने इस बात की शिकायत राजा से कर दी। रविदास जी के उस ब्राहमण मित्र को राजा ने अपने दरबार में बुलाया और भूखे शेर द्वारा मार डालने का हुक्म दिया। शेर जल्दी से उस ब्राहमण लड़के को मारने के लिये आया लेकिन गुरु रविदास को उस लड़के को बचाने के लिये खड़े देख शेर थोड़ा शांत हुआ। शेर वहाँ से चला गया और गुरु रविदास अपने मित्र को अपने घर ले गये। इस बात से राजा और ब्राह्मण लोग बेहद शर्मिंदा हुये और वो सभी गुरु रविदास के अनुयायी बन गये।

**सामाजिक मुद्दों में गुरु रविदास की सहभागिता :** वास्तविक धर्म को बचाने के लिये रविदास जी को ईश्वर द्वारा धरती पर भेजा गया था क्योंकि उस समय सामाजिक और धार्मिक स्वरुप बेहद दुःखद था। क्योंकि इंसानों द्वारा ही इंसानों के लिये ही रंग, जाति, धर्म तथा सामाजिक मान्यताओं का भेदभाव किया जा चुका था। वो बहुत ही बहादुरी के साथ सभी भेदभाव को स्वीकार करते और लोगों को वास्तविक मान्यताओं और जाति के बारे में बताते। वो लोगों को सिखाते कि कोई भी अपने जाति या धर्म के लिये नहीं जाना जाता, इंसान अपने कर्म से पहचाना जाता है। गुरु रविदास जी समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ भी लड़े जो उच्च जाति द्वारा निम्न जाति के लोगों के साथ किया जाता था। उनके समय में निम्न जाति के लोगों की उपेक्षा होती थी, वो समाज में उच्च जाति के लोगों की तरह दिन में कहीं भी आ-जा नहीं सकते थे, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते थे, मंदिरों में नहीं जा सकते थे, उन्हें पक्के मकान के बजाय सिर्फ झोपड़ियों में ही रहने की आजादी थी और भी ऐसे कई प्रतिबंध थे जो बिल्कुल अनुचित थे। इस तरह की सामाजिक समयस्याओं को देखकर गुरु जी ने निम्न जाति के लोगों की बुरी परिस्थिति को हमेशा के लिये दूर करने के लिये हर एक को आध्यात्मिक संदेश देना शुरु कर दिया। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि "ईश्वर ने इंसान बनाया है ना कि इंसान ने ईश्वर बनाया है, अर्थात इस धरती पर सभी को भगवान ने बनाया है और सभी के अधिकार समान है। इस सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में, संत गुरु रविदास जी ने लोगों को वैश्विक भाईचारा और सहिष्णुता का ज्ञान दिया। गुरुजी के अध्यापन से प्रभावित होकर चितौड़ साम्राज्य के राजा और रानी उनके अनुयायी बन गये।

**सिक्ख धर्म के लिये गुरु जी का योगदान :** सिक्ख धर्मग्रंथ में उनके पद, भक्ति गीत, और दूसरे लेखन (41 पद) आदि दिये गये थे, गुरु ग्रंथ साहिब जो कि पाँचवें सिक्ख गुरु अर्जन देव द्वारा संकलित की गयी। सामान्यतः रविदास जी के अध्यापन के अनुयायी को रविदासीया कहा जाता है और रविदासीया के समूह को अध्यापन को रविदासीया पंथ कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके द्वारा लिखा गया 41 पवित्र लेख है जो इस प्रकार है- "रागा-सिरी(1), गौरी(5), असा(6), गुजारी(1), सोरथ(7), धनसरी(3), जैतसारी(1), सुही(3), बिलावल(2), गौंड(2), रामकली(1), मारु(2), केदारा(1), भाईरऊ(1), बसंत(1), और मलहार(3)"।

कैसे बाबर प्रभावित हुए रविदास के अध्यापन से इतिहास के अनुसार बाबर मुगल साम्राज्य का पहला राजा था जो 1526 में पानीपत का युद्ध जीतने के बाद दिल्ली के सिहांसन पर बैठा जहाँ उसने भगवान के भरोसे के लिये लाखों लोगों को कुर्बान कर दिया। वो पहले से ही संत रविदास की दैवीय शक्तियों से परिचित था और फैसला किया कि एक दिन वो हुमायुँ के साथ गुरु जी से मिलेगा। वो वहाँ गया और गुरु जी को सम्मान देने के लिये उनके पैर छुए हालाँकि आशीर्वाद के बजाय उसे गुरु जी से सजा मिली क्योंकि उसने लाखों निर्दोष लोगों की हत्याएँ की थी। गुरु जी ने उसे गहराई से समझाया जिसने बाबर को बहुत प्रभावित किया और इसके बाद वो भी संत रविदास का अनुयायी बन गया तथा दिल्ली और आगरा के गरीबों की सेवा के द्वारा समाज सेवा करने लगा।

**संत रविदास की मृत्यु :** समाज में बराबरी, सभी भगवान एक है, इंसानियत, उनकी अच्छाई और बहुत से कारणों की वजह से बदलते समय के साथ संत रविदास के अनुयायियों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी तरफ, कुछ ब्राह्मण और पीरन दित्ता मिरासी गुरु जी को मारने की योजना बना रहे थे इस वजह से उन लोगों ने गाँव से दूर एक एकांत जगह पर मिलने का समय तय किया। किसी विषय पर चर्चा के लिये उन लोगों ने गुरु जी को वहाँ पर बुलाया जहाँ उन्होंने गुरु जी की हत्या की साजिश रची थी हालाँकि गुरु जी को अपनी दैवीय शक्ति की वजह से पहले से ही सब कुछ पता चल गया था। जैसे ही चर्चा शुरु हुई, गुरु जी उन्ही के एक साथी भल्ला नाथ के रुप में दिखायी दिये जो कि गलती से तब मारा गया था। बाद में जब गुरु जी ने अपने झोपड़े में शंखनाद किया, तो सभी हत्यारे गुरु जी को जिंदा देख भौंचक्के रह गये तब वो हत्या की जगह पर गये जहाँ पर उन्होंने संत रविदास की जगह अपने ही साथी भल्ला नाथ की लाश पायी। उन सभी को अपने कृत्य पर पछतावा हुआ और वो लोग गुरु जी से माफी माँगने उनके झोपड़े में गये। हालाँकि, उनके कुछ भक्तों का मानना है कि गुरु जी की मृत्यु प्राकृतिक रुप से 120 या 126 साल में हो गयी थी। कुछ का मानना है उनका निधन वाराणसी में 1540 एडी में हुआ था।

✦✦✦

# 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ डी.ओ.एम परिसंघ का धरना प्रदर्शन

11 फरवरी, 2019 को अदालत के आदेश के अनुसार, फैकल्टी पदों में एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का निर्णय विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग के अनुसार अलग से किया जाएगा। इससे पहले फैकल्टी नियुक्ति में पूरे विश्वविद्यालय को एक एकल इकाई (सिंगल यूनिट) माना जाता था, जिसे 200 प्वाइंट रोस्टर भी कहा जाता है। मतलब कि ''आरक्षण विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं बल्कि विभागीय स्तर पर किया जाएगा'' को लेकर पूरे देश में छात्रों एवं प्रोफेसर द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी को लेकर 12 फरवरी, 2019 को दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक (डी.ओ.एम.) परिसंघ के द्वारा 13 प्वॉइंट रोस्टर के खिलाफ हजारों लोगों के साथ मंडी हाउस से जंतर मंतर, नई दिल्ली तक मार्च किया गया। इस प्रदर्शन में दिल्ली के हर कोने से कर्मचारी अधिकारियों ने भाग लिया जिसमे डी.ओ.एम. परिसंघ के संयोजक श्री परमेन्द्र, सह सहयोजक श्री कलीराम तोमर, संगठन मंत्री श्री बाबूलाल एवं अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। डी.ओ.एम परिसंघ ने सुप्रीम कोर्ट के आए आदेश का पुरजोर विरोध किया कहा कि 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म करके 200 पॉइंट रोस्टर तत्काल लागू किया जाए नहीं तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा लाखों लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया जाएगा, इतना कहते हुए जंतर मंतर पर धरना-प्रदर्शन को समाप्त किया गया। 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ डी.ओ.एम परिसंघ के संरक्षक डॉ. उदित राज जी ने संसद में माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष उन्हें संबोधित करते हुए शोषित लोगों की आवाज रखी कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद क्या करेगी? जबकि आज तक किसी सांसद ने इस तरह से संसद में नहीं बोला।

13 प्वाइंट रोस्टर के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन करते डी.ओ.एम परिसंघ के नेता व कार्यकर्त्ता

# ए.ए.आई एस.सी. व एस.टी. एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन का सम्मेलन संपन्न

दिनांक 15 फरवरी, 2019 को ए. ए. आई एस सी व एस टी एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन आई अन ऐ कॉलोनी में पूरे 133 एयरपोर्ट्स के केंद्रीय, क्षेत्रीय व शाखा पदाधिकारियों की उपस्थित में हुआ। इसमे ए ए आई प्रबन्धन की सहमति व निर्देश पर हुआ और प्रबन्धन ए ए आई के प्रतिनिधि भी रहे गवाह के तौर पर।

इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉ. उदित राज, सांसद व राष्ट्रीय अध्यक्ष परिसंघ, डॉ योगेंद्र पासवान व डॉ. स्वराज विद्वान माननीय सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी उपस्थित रहे। सुरेश प्रभु माननीय विमानन उड्डयन मंत्री, श्री रामदास अठवले माननीय समाज कल्याण व अधिकारिता राज्य मंत्री, डॉ.(प्रोफ.) किरीट पी सोलंकी, माननीय अध्यक्ष संसदीय समिति अनु. जाति/ जनजाति कल्याण, श्री मनहर वी जाला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सफाईकर्मचारी आयोग पुलवामा ब्लास्टिंग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण शामिल। नही हो पाए, लेकिन प्रतिनिधि मंडल उपस्थित थे। और इस सम्मेलन में मौजूद मुख्य अतिथि के सामने श्री सतीश कुमार ,आल इंडिया प्रेसिडेंट व श्री देबी सिंह राणा को जनरल सेक्रेटरी सर्वसम्मति से पूरे देश के 133 एयरपोर्ट्स के पदाधिकारियों ने चुना और यह भी संकल्प पास किया कि आज से चुने गए दोनों पदाधिकारी ही AAI DS SC O ST एम्प्लाइज/ऑफिसर्स का प्रतिनिधित्व करेंगे और पूर्व पदाधिकारी रजिस्ट्रेशन, सदस्यता, लेखा व दूसरे सभी आवश्यक कागजात नए चुने गए पदाधिकारियों को यथासमय सौंप देंगे। और यह भी निर्णय लिया गया कि पिछड़ा व अल्पसख्यक वर्ग के इम्प्लॉइज भी सदस्यता ले सकेंगे और उनके हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। इन सभी निर्णयों के साथ सम्मेलन का समापन हुआ।

# परिसंघ की बेबसाइट पर ऑनलाइन सदस्य बने एवं सहयोग राशि भेजें

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की बेबसाइट पर अब ऑनलाइन सदस्यता का प्रावधान कर दिया गया है। **www.aiparisangh.com** बेबसाइट पर जाकर कोई भी सदस्यता शुल्क की ऑनलाइन पेमेंट करके वार्षिक एवं आजीवन सदस्य बन सकता है। इस पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि सभी माध्यमों से पेमेंट की जा सकती है। अब कोशिश रहे कि ज्यादातर ऑनलाइन ही किया जाए, फिर भी यदि सदस्यता फार्म और डोनेशन की रसीदें छपी हुई चाहिए तो राष्ट्रीय कार्यालय में सुमित मो . 9868978306 से सम्पर्क किया जा सकता है।

परिसंघ के पदाधिकारियों से निवेदन है कि प्रयास करके अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाएं। यदि प्रदेश या जिले स्तर के पदाधिकारी अन्य लोगों को सदस्य बना रहे हैं तो वे फार्म में रेफर्ड बाई के कॉलम में अपना नाम अवश्य लिखें, इससे राष्ट्रीय कार्यालय को पता लग सकेगा कि किस पदाधिकारी द्वारा कितना ऑनलाइन डोनेशन कराया गया है और उनके माध्यम से कितने सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा बेबसाइट पर परिसंघ का संक्षिप्त परिचय, राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिचय के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों के फोटो के साथ पता एवं मोबाइल नंबर भी दिया गया है, **(http://aiparisangh.com/officebearers/)** ताकि जो लोग अलग-अलग प्रदेशों से बेबसाइट देखें उन्हें पता लग सके कि उस प्रदेश के किस पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अलावा 'वॉयस ऑफ बुद्धा' भी बेबसाइट पर जाकर पढ़ा जा सकता है।

# बजट सत्र (जनवरी-फरवरी), 2019 में डॉ. उदित राज द्वारा लोक सभा में उठाए गए अतांरकित प्रश्न

### न्यायालय कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण

**डॉ. उदित राज :**

(क) क्या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और जिला न्यायालय की कार्यवाहियों के सीधे प्रसारण से पारदर्शिता आएगी, जैसा कि लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के बाद सरकार के कार्यकरण में पाया गया,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है

(ग) क्या सरकार का न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने हेतु कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा यह कब तक किए जाने की संभावना है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्यमंत्री (श्री पी.पी. चौधरी)**

(क) से (घ) : जनता पर व्यापक प्रभाव रखने वाले संविधानिक और राष्ट्रीय महत्त्व के उच्चतम न्यायालय के मामलों की कार्यवाहियों के सीधे प्रसारण को अनुज्ञात करने के लिए घोषणा और सीधे प्रसारण के लिए आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराने का निर्देश तथा ऐसे मामलों, जो संविधानिक और राष्ट्रीय महत्व के हैं, के अवधारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को बनाने के लिए एक रिट याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालस ने रिट याचिका (सिविल) सं. 66/2018 इंदिरा जयसिंह बनाम महासचिव, उच्चतम न्यायालय और अन्य ने अपने निर्णय तारीख 26 सितंबर 2018 द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यक्त किया है कि : (क) खुले न्यायालयों और खुला-न्याय के सिद्धांतों के विस्तार के रूप में सीधे प्रसारण के महत्त्व पर पुनः जोर देना महत्त्वपूर्ण है, (ख) सीधे प्रसारण की प्रक्रिया सावधानीपूर्वक विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन होनी चाहिए (ग) प्रारंभ में, केवल राष्ट्रीय और सांविधिक महत्त्व के मामलों के सीधे प्रसारण की प्रायोगिक परियोजना का संचालन लगभग तीन मास के लिए हो सकता है, जिसे अवसंरचना की उपलब्धता के साथ सम्यक अनुक्रम में विस्तारित किया जा सकता है।

रिट याचिका (आपराधिक) सं. 99/2015 (प्रदयुम्न विष्ट बनाम भारत सरकार और अन्य) में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निर्देशित किया कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कम से कम दो जिलों में (छोटे राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर जहां संबद्ध उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसा करना कठिन समझा जाए) अधीनस्थ न्यायालयों के भीतर और न्यायालय परिसरों में ऐसे महत्त्वपूर्ण स्थानों पर जिसे समुचित समझा जाए, सीसीटीवी कैमरे (बिना ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले) संस्थापित किए जाएं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने और यह निर्देशित किया है कि सभी अधीनस्थ न्यायालयों में, ऐसी चरणबद्ध रीति में जो उच्च न्यायालयों द्वारा उचित समझी जाए, सीसीटीवी कैमरे संस्थापित किए जाने वांछनीय हैं। माननीय न्यायालयों के उपरोक्त निर्देश के अनुसरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की एक प्रति सभी न्यायालयों के महा-रजिस्ट्रारों और सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों / प्रशासकों को विधि और न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग द्वारा 28 अगस्त, 2017 को सभी अधीनस्थ न्यायालयों में कैमरे संस्थापित करने की कार्रवाई करने के लिए अग्रेसित की गयी थी। संबंधित उच्च न्यायलयों को अपनी अधिकारिता में अधीनस्थ में सीसीटीवी कैमरे संस्थापित करने और कार्रवाई करने का विनिश्चय करना है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा और यह निर्देशित किया गया है कि सूचना का अधिकार के अधीन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज उपलब्ध नहीं होगी और संबंद्ध उच्च न्यायालय की अनुज्ञा के बिना किसी को भी प्रदान नहीं की जाएगी।

### विनिवेश लक्ष्य

**डॉ. उदित राज**

**क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :**

(क) सरकार के विनिवेश लक्ष्य का ब्योरा क्या है और इसे प्राप्त करने की योजना क्या है,

(ख) सरकारी क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की संख्या का ब्योरा क्या है, जिनके हिस्से को अब तक बेच दिया गया है तथा इनकी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचा गया है,

(ग) क्या बेचे गए पीएसयू लाभ कमाने वाले या हानि में चल रहे थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(घ) सरकारी क्षेत्र उपक्रम के दर्जे से निजी में परिवर्तित पीएसयू की संख्या कितनी है और लाभ कमाने वाली पीएसयू को बेचने के क्या कारण है ?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री पी. राधाकृष्णन)**

(क) : वर्ष 2018-19 में विनिवेश हेतु बजट अनुमान 80,000 करोड़ रूपये है। हाल ही के वर्षों में, सरकार आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (ओएफएस), शेयरों की वापस खरीद, सामरिक विनिवेश, एक ही क्षेत्र के भीतर विलय एवं अधिग्रहण, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) सहित विनिवेश के विभिन्न तरीकों / पद्धतियों का उपयोग कर रही है। चालू वर्ष में भी विनिवेश के लिए इन तरीकों का उपयोग किया जा रहा है।

(ख) चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सीपीएसईएस में विनिवेशित इक्विटी का ब्योरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2018-19 के दौरान जिन सीपीएसईएस की इक्विटी का विनिवेश किया गया है, उनमें से कोई भी घाटे में चलने वाला नहीं था।

(घ) जी, नहीं। वर्ष 2018-19 के दौरान एचएससीसी (इंडिया) लि. में भारत सरकार की संपूर्ण हिस्सेदारी का एनबीसीसी (इंडिया) लि. द्वारा अधिग्रहण किया गया था और वह भी एक सीपीएसई ही है।

### मामलों की समयबद्ध सुनवाई

**डॉ. उदित राज :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार को सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय स्तर पर विभिन्न आपराधिक और सिविल मामलों की समयबद्ध सुनवाई के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी)**

(क) और (ख) : विशेषज्ञ समितियों जिसके अंतर्गत भारत का विधि अयोग भी है, ने मामलों के विलंब से निपटान के लिए कारणों पर विचार किया है। सिफारिशों पर आधारित, दांडिक और सिविल मामलों के समयबद्ध सुनवाई करने और शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए प्रकिया विधियों अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता को नए उपबंधों की एक श्रंखला को पुरःस्थापित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ अनावश्यक स्थगन को हतोत्साहित करने के लिए संशोधन करना, दांडिक मामलों में ऑडियो / वीडिया के प्रौद्योगिकी उपयोग के लिए अनुज्ञात करने के लिए संशोधन करना, ऐसे स्थगनों, जिसे अनुदत्त किया जा सके, कि संख्या पर सीमा अधिरोपित करने के लिए संशोधन करना, ई.मेल, फैक्स, स्पीड पोस्ट, कूरियर सेवाओं का प्रयोग करने के लिए, समन सेवाओं को अनुज्ञात करना, और उल्लिखित कथनों को फाइल करने के लिए समय-सीमा को सीमित करना सम्मिलित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, कतिपय विधियों में उन विधियों के अधीन शासित मामलों के विचारण को पूरा करने के लिए दर्शित की जाने वाली समय-सीमा का भी उपबंध किया गया है। उदाहरण के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 उपबंध करता है कि न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि सुनवाई प्रथम मामला प्रबंधन की तारीख से छह मास से कम अवधि में बहस समाप्त की जाती है और वह न्यायालय, यथासंभव, सुनिश्चित करेगा कि दिन-प्रतिदिन के आधार पर तब तक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा, जब तक सभी साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती है। उसी प्रकार से लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 उपबंध करता है कि किसी बालक का साक्ष्य तीस दिन की अवधि के भीतर विशेष न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया जाए और उसका विचारण, यथासंभव, ऐसे अपराध के संज्ञान के किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए। अन्य उदाहरण है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, जो उपबंध करता है कि साइबरअपीलीय अधिकरण के समक्ष की गयी कोई अपील शीघ्रातिशीघ्र देखी जाएगी और छह मास के भीतर अपील का निपटान किया जाएगा।

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई और उसका निपटान नियत समय विरचना में करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है। न्यायालयों में मामलों (सिविल और दांडिक) के शीघ्र निपटान करना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ न्यायधीशों की पर्याप्त की संख्या की उपलब्धता, सहायक न्यायालय स्टॉफ और भौतिक अवसंरचना तथ्यों की जटिलता, जिसके अंतर्गत साक्षियों की प्रकृति, पणधारियों आर्थात् बार, अन्वेषण अधिकरण, साक्षी और वादकारियों तथा नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित आवेदन सम्मिलित है। साइबर अपीलीय अधिकरण के समझ की गई कोई अपील शीघ्र अतिशीघ्र देखी जाएगी और छह मास के भीतर अपील का निपटान किया जाएगा।

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई और उसका निपटान नियत समय विरचना में करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है। न्यायालयों में मामलों (सिविल और दांडिक) के शीघ्र निपटान करना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्य बातों के साथ न्यायधीशों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता, सहायक न्यायालय स्टॉफ और भौतिक अवसंरचना, तथ्यों की जटिलता, जिसके अंतर्गत साक्षियों की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अधिकरण, साक्षी और वादकारियों तथा नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित आवेदन सम्मिलित है।

## पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

| | |
|---|---|
| पांच वर्ष : | 600 रुपए |
| एक वर्ष : | 150 रुपए |

# बजट सत्र (जनवरी-फरवरी), 2019 में डॉ. उदित राज.....

**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान**

**डॉ. उदित राज**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :**

(क) देश में भारतीय प्राद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की आज की तिथि के अनुसार कुल संख्या कितनी है,

(ख) आईआईटीस के कुल पदों, जिसमें शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पद शामिल हैं, में से अनुसूचित जाति / जन जाति वर्ग के लिए अभिनिर्धारित पदों की संख्या कितनी है,

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वर्ग हेतु अभिनिर्धारित समस्त पदों को विधिवत रूप से भरा गया है,

(घ) यदि हां, तो आईआईटीवार तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं, और

(कृ) क्या सभी आईआईटीज में पद-आधारित रोस्टर का कार्यान्वयन किया जाता है और यदि हों, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर)**

(क) से (ड.) : इस समय, देश में विभिन्न भागों में 23 भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान कार्य कर रहे हैं। आईआईटीज, संकाय-छात्र अनुपात 1:10 और गैर संकाय छात्र अनुपात 1.1:10 बनाए रखने का प्रयास करते हैं। जैसाकि, संकाय संख्या छात्र संख्या से जुड़ी हुई है। अतः संकाय और गैर संकाय संख्या छात्र से जुड़ी हुई है, अतः संकाय और गैर-संकाय की वास्तविक संख्या नामांकित हुए छात्रों की संख्या के अनुसार, समय-समय पर घटती-बढ़ती है। आज की तारीख में, सभी 23 आईआईटीज की स्वीकृत संकाय संख्या 8856 है, जिमसें से 6043 संकाय पद भरे हुए हैं तथा 2813 खाली हैं। आईआईटीज में 6043 संकाय पद भरे हुए हैं तथा 2813 खाली हैं। आईआईटीज में 6043 संकाय पदों में 149पद अनुसूचित जाति (एससी) तथा 21 अनुसूचित जन जाति (एसटी) से हैं। आईआईटीज में कुछ गैर-संकाय पदों की संख्या 9465 है, जिसमें से 1125 पद एससी और 520 पद एसटी के लिए आरक्षित हैं। इनमें 888 पद एससी तथा 275 पद एसटी उम्मीदवारों से भरे गए हैं।

आईआईटीज संकाय नियुक्ति में लचीली काडर प्रणाली अपनाते हैं। इसलिए, विभिन्न ग्रेडों अर्थात् प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक संकाय की संस्वीकृत संख्या निश्चित नहीं की जाती है। इस लचीली काडर प्रणाली के तहत आईआईटीज, आवश्यकता आधार पर किसी भी ग्रेड के संकाय की भर्ती के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते, कि समग्र संख्या 1:10 के मानक अनुपात से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आईआईटीज में संकाय आरक्षण केवल सहायक प्रोफेसर तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयों में लेक्चरर पद के प्रवेश स्तर पर उपलब्ध है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयों में लेक्चरर पद के प्रवेश स्तर पर उपलब्ध है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयों के अलावा अन्य विषयों जैसे मानविकी, समाज विज्ञान तथा प्रबंधन विषयों में संकाय पदों के साथ-साथ गैर संकाय पदों के लिए एस.सी., एस.टी. तथा ओबीसी के आरक्षण की मानक दर क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत पूर्णतः लागू है।

सभी आईआईटीज आरक्षण रोस्टर का रख-रखाव करते हैं और आरक्षण प्रतिशतता, छूट आदि का पूरा ब्योरा देते हुए अपनी बेबसाइट पर रोलिंग विज्ञापन प्रकाशित करते हैं। आईआईटीज एससी तथा एसटी के लिए निर्धारित पदों सहित रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान भी चलाते हैं।

## डॉ. उदित राज लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 13 प्वाइंट रोस्टर का मुद्दा उठाया

4 फरवरी, 2019 सांसद डॉ. उदित राज ने आज लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 13 प्वाइंट रोस्टर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हाल का निर्णय अनुसूचित जाति / जन जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों के खिलाफ है, जो कहता है कि आरक्षण विभाग को इकाई मानकर लागू किया जाए न कि विश्वविद्यालय को। विभाग में यदि एक-दो या तीन ही जगह खाली है तो कभी भी इन वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय नीति बनाने जैसा है जो केवल संसद ही कर सकती है। उच्च न्यायपालिका में जब तक एस.सी./एस.टी. एवं ओ.बी.सी. का आरक्षण नहीं होता तब तक इन वर्गों को न्याय मिलना असंभव हो गया है। न्यायपालिका का काम कानून की व्याख्या करना है न कि कानून बनाना लेकिन दुर्भाग्य से न्यायपालिका कानून बनाने जैसे निर्णय देने लगी हैं। 2 अप्रैल, 2018 को दलितों ने पूरे देश में बंद का आवाहन किया था जिसके बाद यह बात उभरकर आयी कि संसद में अध्ययादेश लाकर यू.जी.सी. के 5 मार्च, 2018 के आदेश को निरस्त किया जाए। यह बात सराहनीय है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों को विभागीय स्तर पर नियुक्ति पर रोक लगाने के पक्ष में है।

पहले वैकेंसी भरते वक्त यूनिवर्सिटी को एक यूनिट माना जाता था, उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद वैकेंसी भरने के लिए डिपार्टमेंट / सब्जेक्ट को यूनिट माना जाने लगा। साथ ही 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम लागू हुआ। अगर किसी यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट में वेकेंसी आती है, तो :

**चौथा, आठवां और बारहवां कैंडिडेट ओबीसी होगा, मतलब कि एक ओबीसी कैंडिडेट डिपार्टमेंट में आने के लिए कम से कम 4 वैकेंसी होनी चाहिए**

**7वां कैंडिडेट एससी कैटेगरी का होगा, मतलब कि एक एससी कैंडिडेट डिपार्टमेंट में आने के लिए कम से कम 7 वैकेंसी होनी ही चाहिए**

**14वां कैंडिडेट एस.टी होगा, मतलब कि एक एसटी कैंडिडेट को कम से कम 14 वेकेंसी इंतजार करना ही होगा**

**बाकी 1,2,3,5,6, 9,10,11,13 पोजिशन अनारक्षित पद होंगे।**

साफ है कि यूनिवर्सिटी में आरक्षण की पूरी प्रणाली ही खत्म कर देने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। एक यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को शुरू करने के लिए 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, एक असोसिएट प्रोफेसर और एक प्रोफेसर होना चाहिए। मतलब कुल संख्या 4-5 एससी/एसटी. एवं ओबीसी को आरक्षण देने के लिए इतनी वैकेंसी कहां से लाई जाएगी ? देश में शायद ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो, जहां एक डिपार्टमेंट में एक साथ 14 या उससे ज्यादा वेकेंसी निकाली जाती हो। मतलब ओबीसी-एससी का हक मारा जा रहा है, एसटी समुदाय के रिजर्वेशन को तो बिलकुल खत्म कर देगी ये प्रक्रिया।

उच्च न्यायालयों के जज पूर्वाग्रहित हैं, जिससे आए दिन इस तरह के दलित विरोधी निर्णय आते ही रहते हैं। हमारे देश में जजों की नियुक्ति जज ही कर रहे हैं, जो असंवैधानिक है। जिस तरह से सिविल सर्विसेज की परीक्षा से योग्य प्रशसनिक अधिकारी चुने जाते हैं, उसी तरह से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा लागू की जाए।

**चिकित्सकों की रिक्तियां**

**डॉ. उदित राज**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :**

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में लगभग 2000 चिकित्सक हैं, जबकि 550 पद रिक्त हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है,

(ग) क्या यह सच है कि रेल दुर्घटना होने की स्थिति में आपातकाल के दौरान, रेलवे के चिकित्सक बहुत देर से पहुंचते हैं,

(घ) रेलवे द्वारा चिकित्सकों की रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**उत्तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन)**

(क) और (ख) : भारतीय रेल चिकित्सा सेवा (आईआरएमएस) ग्रुप 'ए' में डाक्टरों की स्वीकृति संख्या 2624 है, जिनमें से 01.02.2019 की स्थिति के अनुसार 416 रिक्तियां हैं। रेलों में नियमित आधार पर सहायक मंडल चिकित्साधिकारियों के चयन होने तक इन रिक्तियों को अंतरिम व्यवस्था के रूप में संविदा चिकित्सा प्रैक्टिशनरों को लगा कर भरा जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारियों (एडीएमओ) की ज्वाइनिंग दर कम होने के दृष्टिगत संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के लिए मांग पत्र प्रस्तुत करके विभिन्न विशेषज्ञताओं में वरिष्ठ वेतनमान में विशेषज्ञ मंडल चिकित्साधिकारियों के पदों को भरने के लिए भी कार्यवाही की गई है और लगभग इस प्रकार के 55 डीएमओ ने पहले ही पदभार ग्रहण कर लिया है। डीएमओ के पद के लिए यूपीएससी द्वारा की गई अन्य 24 अभ्यर्थियों की सिफारिश के आधार पर पेशकश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय रेलों को भी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं और आवश्यकतानुसार नियमित आधार पर संविदा चिकित्सा प्रैक्टिशनरों की सेवाएं ली जा रही हैं।

## डॉ. उदित राज जी ने लोक सभा में शून्यकाल के दौरान 'राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप को रोकने के विरुद्ध मुद्दा उठाया

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2019.

राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप अजा/जजा छात्रों को 25000 हजार रूपये प्रतिमाह मिलती थी उसमें 10 प्रतिशत एच.आर.ए. और बुक्स, कम्प्यूटर इत्यादि भी मिलते थे। इसकी पात्रता के लिए पोस्ट ग्रेज्युशन के अंकों को आधार बनाया जाता था। बड़े पैमाने पर दलित छात्रों ने शोध कार्य इसी फेलोशिप की बदौलत पूरी किया लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 2018 में एक पत्र द्वारा यू.जी.सी. को सूचित किया कि जो छात्र नेट/जी.आर.एफ. पास हैं, उन्हें ही राजीवगांधी नेशनल फेलोशिप मिलेगी। इसमें यह भी कहा गया कि 2017 एवं 2018 में नेट/जी.आर.एफ. पास होने वाले छात्रों को ही यह फेलोशिप मिलेगी। नेट/जी.आर.एफ. पास करने वाले छात्रों को पहले ही यू.जी.सी. 25 हजार रूपये महीना देती है, इसलिए इस फेलोशिप की जरूरत नहीं थी। पहले राजीवगांधी फेलोशिप में एक साल के अंदर 2000 अनूसूचित जाति एवं 700 अनुसूचित जन जाति के शोधार्थियों को फेलोशिप दी जाती थी, लेकिन अब इसका नाम बदलकर 'अनुसूचित जाति राष्ट्रीय पुरस्कार' कर दिया गया है और यह 2000 नेट/जी.आर.एफ. क्वालीफाई करने वालों को देने का ऐलान किया है, जबकि अनुसूचित जाति व जन जाति से नेट/जी.आर.एफ. क्वालीफाई करने वालों की संख्या 200-300 ही होगी। नाम कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन पोस्ट ग्रेज्युएशन के अंकों को आधार न मानकर नेट/जी.आर.एफ. क्वालीफाई को आधार मानने से शोधार्थियों का भारी नुकसान हो रहा है। अतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री महोदय से मांग है कि इसके लिए मानदंड पूर्ववत ही किए जाएं।

**उपरोक्तके अलावा डॉ. उदित राज जी ने लोक सभा में 4 निजी बिल पेश किए, जो निम्नवत हैं -**

1. कृषकों और कृषि श्रमिकों को निर्वाह भत्ते का संदाय विधेयक, 2018.
2. प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति (पुनर्वास और वित्तीय सहायता) विधेयक, 2018
3. काम का अधिकार विधेयक, 2018
4. महिला और बालिका (अत्याचार निवारण) विधेयक, 2018

अब तक सांसद डॉ. उदित राज जी पहले ही विभिन्न विषयों पर कुल मिलाकर 25 बिल पेश कर चुके हैं।

# MASS RALLY AT SRINAGAR & JAMMU ON 24 Feb & 10 MARCH BY SC/ST/OBC CONFEDERATION FOR THEIR DEMANDS.

Jammu 10.02.2019 Today, a large number of SC/ST/OBC and minority communities under the aegis of All India Confederation of SC/ST Organisations gathered at the statue of Dr. Ambedkar at Ambedkar Chowk Jammu. People from all over the state participated in huge numbers holding flags, placards and banners and held protest and

alleged that since long they are raising their voice through seminars, sammelans, protest rallies, dharnas for redressal of their long pending demands including Incorporation of Parliament amendment No.77th, 81st,82nd and 85th in J&K State, Restoration of Reservation in promotion, Clearance of Back Log Vacancies, Implementation of 200 point roster instead of 13 point roster, Share in Adhoc/ Contractual/CP Workers/ Need Basis/ Daily Wagers, Reservation to OBCs and deletion of word OSC (Other social caste), appointment of one Advisor from SC Category, Providing representation to SC/ST/OBC (RBA, ALC, OSC} officers /officials in postings, Creation of Shelter Homes for landless SC/ST/OBCs/Nomadic population, allocation of SCP/STP, creation of at least two Model Police Station in the capital cities for dealing with crimes against SC/ST/OBC's under the direct control of Commission of SC/ST/OBC's, Empowerment of Wattal/Safai karmcharis, replacing manual work with the machine/equipment and paying extra salary to such persons engaged in menial work & granting all National Holidays to them, All Universities located in J&K may be directed to implement Reservation Rules, SC/ST/OBC members be appointed proportionately in the Statutory bodies and commissions like SSB, State Accountability Commission, Statutory Bosrds. The gathering also submitted a memorandum to Hon'ble Governor.

While addressing the gathering, Mr. R K Kalsotra, State President of The Confederation said the previous Govt regime of BJP-PDP was the worst period for SC/ST/OBC communities despite the fact there were 7 SC MLA's from the single party but they did nothing for these communities. It is very disappointing that even during the Governor's Rule/President's Rule ,a number of memorandums of demands have been submitted to the Governor and request for seeking appointment of Hon'ble Governor was also made through one of the Advisor of Governor but nothing has been done yet. He urged that this non-serious approach of the administration has led to a precarious situation and it has become imperative for 80% population of the state to become united. He said that if the demands of the masses projected by the Confederation are not conceded before implementation of Model Code of Conduct, then all the communities belonging to SC/ST/OBC and minorities should become united and should come on one platform. He said that they should elect honest and dedicated representatives from their own communities who are serious about welfare and upliftment of these masses. He further added that this is very unfortunate that even after 70 years of independence, the 2% of representation guaranteed in the Constitution has not been made as yet. Reservation is being implemented on Economic grounds also but the socially and educationally Backward classes (OBCs) are getting only 2% reservation despite being guaranteed 27% by the Mandal Commission. He urged upon all the communities to be ready for struggle in case the demands are not fulfilled by the administration and called for Maharally at Jammu on 10th March 2019. Ch. Mushtaq Badgami, Vice President Confederation in his addresses announced that if their demands are not met, they will hold Mass awareness Rally at Srinagar on 24th Feb.2019 for the success of 10th March Maharally at Jammu

# Dr. Udit Raj, in Parliament during Zero hour has taken up the issue of discontinuation of Rajiv Gandhi National Fellowship

Rajiv Gandhi National Fellowship (RGNF) Scheme for Scheduled Caste and Scheduled Tribes provides scholarship of Rs.25000/- per month and 10% HRA, books Computer etc. Marks obtained in Post-graduation

were the criteria for Eligibility for scholarship. Large numbers of students from reserved category have done research work through fellowship scheme despite that Ministry of Social justice through its letter order 2018 directed UGC that students who have cleared NET-JRF (National Eligibility Test - Junior Research Fellowship) will only be eligible for Rajiv Gandhi National Fellowship. Order also mentioned that student who had cleared NET-JRF in the year 2017 and 2018 will only be eligible for fellowship. As per previous UGC norms student who clears the NET-JRF are already eligible for Rs 25,000/-, hence this additional fellow ship was not required. Previously under Rajiv Gandhi Fellowship 2000 SC and 700 ST researchers used to get fellowship but now this fellowship is named as "Schedule Caste National Award" and declared to give for 2000 SC/ST students, who qualify NET-JRF whereas the number of passing students from SC/ST categories is merely 200-to-300 per year. Name of the fellowship is not the real matter of concern but shift in eligibility criteria from consideration of marks of Post graduation to NET-JRF will immensely affect the researchers.

Hence it is requested to Hon'ble Minister of Social Justice that conditions of eligibility for fellowship be restored as per earlier criteria.

Apart from the above Dr. Udit Raj has introduced 4 other private bills in Lok Sabha which are as below

**1. The payment of subsistence allowance to farmers and agricultural Labourers Bill, 2018.**

**2. Victims of Natural calamities (rehabilitation and Financial amenities) Bill 2018.**

**3. Right to work Bill 2018.**

**4. Women and Girl Child (Prevention of atrocities) Bill 2018.**

**5. Working women (Basic facilities and welfare) Bill 2018**

Dr Udit Raj Member of Parliament has introduced more than 25 bills on various issues as of now

# Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

**Contribution:**

| | | |
|---|---|---|
| **Five years** | **:** | **Rs. 600/-** |
| **One year** | **:** | **Rs. 150/-** |

# VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 22 ● Issue 5 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 16 to 28 February, 2019

## Conference of DOM PARISANGHA Kharagpur

Conference of DOM PARISANGHA, West Bengal State, presided over by Prof. Dipak Biswas, graced the conference as the CHIEF GUEST.

West Bengal State President of the DOM PARISANGH, Sri Subrata Roy [Batul] welcomed the conference and explained the worse scenario of the Dalits/OBCs and the Minorities of West Bengal. He also pointed out that the right of reservation is neither given high priority nor being applied by the West Bengal Govt. Besides other speakers of different districts, Mr. Tarapada Biswas, earstwhile West Bengal President of the All India Confederation of SC/ST Organisations, drew the attention towards the dismal picture of the basic needs of the down-trodden people of West Bengal.

Subrata Batul Honoured Dr. Udit Raj at Kharagpur

Dr. Udit Raj, the Hon'ble Chief Guest then addressed the 294 delegates present along with more than 350 observers from 23 districts of West Bengal.

Dr. Raj, educated the delegates & observers regarding the dangers threatening reservations of the SCs/ STs/ OBCs & the Minorities and their fundamental rights of food, shelter, clothing, medicare and educations. Dr. Raj emphasized on building up of district-wise strong movement of the SCs/STs/OBCs/MINORITIES for restoring their rights.

In the end, the strong West Bengal State Committee headed by Sri Subrata Roy [Batul](+ 91 9932 10 9066) & Prof. Sri Manas Naskar ( + 91 7980 11 2824 ) as the State President & the State Secretary respectively.

held on 24th February 2019, at Kharagpur Rly. SOUTH INSTITUTE

Hon'ble MP & Patron of DOM PARISANGH, Dr. Udit Raj,

## Dalits, themselves responsible for their ruin

As fast as the awakening has increased in past 3 to 4 decades so fast there has been scattering as well. Anyone who woke up considered himself an intelligent and smart leader and formed his own organisation. When organisation is created, the ambition of these people arise and thereafter to fulfil these ambitions people become egoistic and racist to fulfil them. Even though these leaders think they are doing good for the society, but the results are just the opposite. The awakened dalit castes forced the other suppressed castes to go on other's side. Right now they are unaware of the loss caused by their actions like these. The castes which are deprived of reservation and higher education are at loss less than those who are educated and awakened. The lack of consciousness does not make them feel like slave, that is why togetherness with upper caste is still continuing.

There is no doubt that the Dalits, backwards and minorities are going through a bad phase. Unemployment has increased massively and which is not a political issue. The 13 point Roaster has reduced the position of teachers for Dalits, backawards and minorities to almost nil, which is also not a special issue. All channels start spreading rumours right from morning but there is no contradiction for the same. In this way the society is being pushed towards darkness. The social and political environment has become so confused and blurred that people see it a mission to save their leader. And if someone else struggles and talks about their benefit, then instead of support people start accusing him. Till now, none of the leader of the Dalit or Backward has ever questioned the unconstitutional appointment of judges of High Court or Supreme Court. As per the constitution, the priority for appointment of judges is that of the government but the judges have taken it's charge themselves. Dr. Udit Raj is the only MP, who, in the presence of the Prime Minister in the Lok Sabha, called the Supreme Court as anti-Dalit, casteist and anti-poor and that too, more than once. Has someone else done anything like this ever? Has any Dalit or backward organizations ever tried to encroach the Supreme Court? There is no such instance in the history at all.

There has been excessive loss on both the sides, first due to privatisation, contract system and outsourcing and secondly due to the continuous efforts of High Court to weaken the welfare schemes. For how long will Dr.Udit Raj and his D.O.M Parisangh, fight alone? Though there are many who believe in Ambedkar and Lord Buddha, but their minds are closed. Had their mind were open, they would understand who is doing what. Although it is very late now, whatever reservation was available in Government jobs has almost been eliminated and privatisation of education is further reducing the participation. We cannot hope much to use logic and intelligence honestly. The society is being continuously pushed to darkness because of which a lot has been lost and we are waiting for the pre era of slavery.

✦✦✦

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya